

प्रत्याख्यान:— “स्थानीय भाषा में अनुवादित न्यायनिर्णय मात्र पक्षकारों को उनकी भाषा में समझने पर्यन्त ही सीमित है एवं किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोगार्थ नहीं है। सभी व्यावहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों हेतु, न्यायनिर्णय के **आंग्लभाषा संस्करण** को ही प्रामाणिक माना जावेगा तथा निष्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रभावी माना जावेगा ।”

आपराधिक अपील क. — 763/2019

(CRA No. 763/2019)

कलाबाई

अपीलार्थी

विरुद्ध

म.प्र. शासन

प्रतिअपीलार्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण:

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील, म.प्र. उच्च न्यायालय के अपील निरस्ती आदेश (निर्णय) दि. 25.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा स्वयं की दोषसिद्धि अन्तर्गत धारा 302 भा.द.स. को प्रश्नगत किया गया था।
2. अभियोजन के प्रकरणानुसार:

मृतक श्रीमती ललिताबाई, श्री विजय सिंह की धर्मपत्नी थी। अपीलार्थीनी, मृतक की ननंद थी। दिनांक 20.08.1999 की देर शाम ललिता व उसके पति विजय सिंह के बीच झगड़ा चल रहा था। अपीलार्थी जो कि तल मंजिल (ग्राउण्ड फ्लोर) पर रहती थी, पहली मंजिल पर आई जहां ललिता बाई बत्तीवाले स्टोव पर दूध गर्म कर रही थी। अपीलार्थी ने जलता हुआ स्टोव मृतका पर फेंका जिससे मृतका के कपड़े आग की चपेट में आ गए व गंभीर जलने के घाव कारित हुए, मृतका के पति द्वारा उसे एम. वाय. हॉस्पिटल इन्दौर में भर्ती करवाया गया। अस्पताल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर एक पुलिस निरीक्षक (Police Inspector) हॉस्पिटल पहुँचे। सूचना को रोजनामचे में दर्ज किया गया व मुख्य आरक्षक उदय पाल सिंह को अस्पताल भेजा गया जहाँ ललिता बाई को 96% जले हुए भाग के साथ भर्ती किया गया था। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट मंगवाने के पश्चात कि क्या मरीज कथन देने की स्थिति में है व इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त होने के पश्चात कि मरीज **कथन देने की स्थिति में है**, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कम नायब तहसीलदार को कथन अभिलिखित करने हेतु प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कम नायब तहसीलदार द्वारा अस्पताल पहुँचकर मृतक ललिता बाई का कथन अभिलिखित किया गया। रिपोर्ट के आधार पर धारा 307/34 भा.द.स. के अन्तर्गत प्रकरण दि. 20/08/1999 को पंजीबद्ध किया गया। उपचार के दौरान ही ललिताबाई का निधन 23.08.1999 को हो गया व प्रकरण को धारा 302 भा.द.स. के अन्तर्गत

पंजीबद्ध किया गया। कलाबाई व विजय सिंह दोनों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किये गए व दोनों के विरुद्ध विचारण प्रारंभ किया गया।

3. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में 24 साक्षी प्रस्तुत किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य व मृतिका के मृत्युकालिक कथन दि. 21.08.1999 के आधार पर अपीलार्थी को हत्या हेतु सिद्धदोष पाया गया। अपीलार्थी को आजीवन कारावास व 2000/- रुपये अर्थदण्ड के दण्डादेश से दण्डित किया गया। विजय सिंह, मृतिका के पति को धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.द.स. से दोषमुक्त किया गया। अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि व दण्डादेश के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय में अपराधिक अपील प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित कर अपराधिक अपील निरस्त की जिससे वर्तमान अपील का उद्भव हुआ।
4. इस न्यायालय द्वारा आदेश दि. 02/07/2015 से सीमित सूचना-पत्र जारी किये जो निम्नलिखित हेतुक (प्रभाव) के थे:
“विलंब क्षमा।
अपराध की प्रकृति के प्रश्न तक सीमित प्रभाव का नोटिस (सूचना-पत्र) जारी किया जाये।
दण्डादेश के निलंबन की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।
5. हमने, अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक व म.प्र.शासन के अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार को सुना।
6. अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपने पक्ष समर्थन में कहा कि अपीलार्थी को धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि अपीलार्थी का उद्देश्य मृतक की हत्या करने का नहीं था। अपीलार्थी का न तो आशय न ही उद्देश्य मृतिका की हत्या कारित करना नहीं था।
7. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कहा कि मृतिका कथन अभिलिखित करवाने हेतु स्वस्थ शारीरिक दशा में नहीं थी, एम.एल.सी. की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि मरीज अशांत, ज्वरहीन व नाड़ी के कंपन रहित थी। यह निवेदित किया गया कि मरीज इतनी क्षीण व अशांत थी कि वह इस स्थिति में ही नहीं थी कि घटना का सही विवरण दे पाती।
8. अपीलार्थी के अभिभाषक ने इस न्यायालय द्वारा हरी शंकर विरुद्ध राजस्थान राज्य, (1998) 8 SCC 355 में दिये निर्णय के आधार पर यह आख्यायित किया कि वर्तमान प्रकरण के तथ्य उपरोक्त वर्णित प्रकरण के तथ्यों के समरूप है व उपरोक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा धारा 302 भा.द.स. को परिवर्तित कर धारा 304-II किया व दण्डादेश को लघुकृत कर आजीवन कारावास से पांच वर्ष सश्रम कारावास कर दिया गया। यह वर्तमान प्रकरण भी समान व्यवहार, का अधिकारी है।
9. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता महोदय ने अपीलार्थी के निवेदन को अमान्य करते हुये कहा कि मृतिका की शारीरिक स्थिति को चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करते हुये उसे कथन अभिलिखित करने हेतु स्वस्थ मानसिक अवस्था में होना बताया गया था, जो कि अभियोजन साक्षियों द्वारा सिद्ध किया गया है। यह भी कहा गया कि गर्दन व सिर पर हुई Burn Injury मात्र 8% थी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया है, दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्व

परा समुचित रूप से मृत्युकालिक कथन पर विश्वास जताया गया है एवं अपीलार्थी को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह ऐसे बिन्दु उठाए जिससे मृत्युकालिक कथन पर अविश्वास की धारणा बने। एक सीमित आशय का सूचना-पत्र 02.07.2015 को जारी किया गया, अपीलार्थी को यह अनुमति नहीं होनी चाहिये कि वह अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दे। अपीलार्थी को सिर्फ अपराध की प्रकृति आख्यान करने की अनुमति है, जिस आशय का सीमित सूचना-पत्र इस प्रकरण में दिया गया है।

10. हमारे द्वारा द्वय पक्ष के कथन-तर्कों पर विचार किया व अभिलेख का परिशीलन किया गया।
11. सीमित आशय का सूचना-पत्र अपराध की प्रकृति के विषय में जारी किया गया था, हम प्रकरण संबंधी अपनी मीमांसा को उक्त बिंदु तक सीमित रखते हैं।
12. मृत्युकालिक कथन जो कि अस्पताल में मृतिका के भर्ती होने के कुछ घंटों बाद ही अभिलिखित किए गये थे, पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विश्वास स्थापित किया है। मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए गये थे, जिसका नाम विजेन्द्र सिंह पवार, अभि. साक्षी क्रं. -15 है, कटघरे में उपस्थित हुए व उसका मृत्युकालिक कथन सिद्ध किया। उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मृतिका द्वारा दिये गये संपूर्ण कथन को उद्धरित किया है, जिसे मृत्युकालिक कथन के रूप में मान्य किया गया है। मृतिका को प्रश्न पूछे जाने पर कि "तुम कैसे जली," सविस्तार उत्तर मृतिका द्वारा दिया गया। उक्त प्रश्न व मृतिका द्वारा दिये गये उत्तर को उद्धरित करना समीचीन होगा, जो कि निम्नलिखित है:
 प्रश्न: तुम कैसे जली?
 उत्तर: मेरे व मेरे पति के बीच झगड़ा चल रहा था, इसी झगड़े के दौरान मेरे पति की बहन काला जो कि मेरे घर की निचली मंजिल पर रहती है, मेरे घर आई और बोली कि मैं इसे देखती हूँ और जब मैं दूध उबाल रही थी, उसने बत्तीवाला स्टोव उठाया और मुझ पर पटक दिया, जिससे पूरा कैरोसिन तेल मेरे शरीर पर फैल गया और इसके जलते भाग के कारण मेरे कपड़ों ने आग पकड़ ली।
13. यह संज्ञान में लेना प्रासंगिक होगा कि मृतिका के पति विजय सिंह को भी धारा 302 सहपठित धारा 34 व 114 भा.द.स. के अन्तर्गत आरोपित किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पुरःस्सर की गई साक्ष्य में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी व मृतिका के बीच तनावपूर्ण संबंध थे। संपूर्ण घटना जो घटित हुई उसे मृतिका के स्वयं के द्वारा मृत्युकालिक कथन में सविस्तार वर्णित किया गया है? ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके कि अपीलार्थी का आशय हत्या करने का था। मृतिका के स्वयं के कथनानुसार, झगड़ा उसके व उसके पति विजय सिंह के बीच चल रहा था व झगड़े के दौरान, अपीलार्थी जो कि निचली मंजिल पर रहती थी, घटना मौके पर पहुँची। यह विवाद नहीं हो सकता कि जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति पर जलता हुआ स्टोव फेंके तो उसे इस बात का ज्ञान हो कि यह कृत्य मृत्युकारक हो सकता है।
14. विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा यह तर्क रखे गये थे कि अधिक से अधिक उसे धारा 304— II भा.द.स. में दोषसिद्ध किया जाये, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। पैरा नं.—60 में विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तर्क पर विचार करते हुए निम्नलिखित संप्रेक्षण अंकित किए:

"60, जहाँ तक प्रश्न अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा धारा 302 भा.द.स. की जगह धारा 304— II में अपराध की विरचना हेतु प्रस्तुत तर्कों का है, यह अवगत कराया जा चुका है कि अभियुक्त कलाबाई द्वारा ललिता बाई के सिर पर जलता हुआ स्टोव फेंककर उसे 96% जलाया गया। डॉ. ए. के. दीक्षित (PW-11) द्वारा अपने कथन में कहा गया कि उनके निरीक्षण के दौरान जला हुआ घाव पाया गया, घावों को घातक (जानलेवा) चोटें दिखाया गया है व संपूर्ण शरीर का परीक्षण ललिता बाई की मृत्यु के 3 दिवस उपरांत किया गया। डॉ. रविन्द्र सिंह चौधरी (अभि. साक्षी-17) ने मृत्यु के कारण— जलना, अन्य गंभीर समस्याएँ, श्वास प्रक्रिया का अवरोधित होना इत्यादि बताया है।"

15. विचारण न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से निर्धारित किया है कि अभियुक्त कला बाई द्वारा जलता हुआ स्टोव मृतिका पर फेंका गया परंतु क्या यह कृत्य मृत्युकारित करने के आशय से किया गया था! इस बात को विचारण न्यायालय द्वारा संज्ञापित नहीं किया गया।

16. अपीलार्थी के विद्वान न्यायाधीश ने इस न्यायालय के निर्णय जो हरिशंकर के मामले में दिया गया था, पर बल दिया है। उपरोक्त प्रकरण में भी अपीलार्थी ने जलता हुआ स्टोव उठाकर मृतक पर फेंका। स्टोव से कैरोसिन कपड़ों पर फैला व कपड़ों ने आग पकड़ ली। उक्त प्रकरण में भी जलने के कारण ही मृतक की मृत्यु हुई। इस न्यायालय ने अवधारित किया कि जब अपीलार्थी ने जलता स्टोव मृतक पर फेंका, वह ज्ञान रखता था कि उसके कृत्य से जलना संभाव्य है जो परिणामतः मृत्यु हो सकता है। निर्णय का पैरा नं. 2,3 एवं 4 का उद्धरण यहाँ उपयोगी है जो कि निम्नलिखित है:

"2. इस अपील में मात्र यह प्रश्न हमारे द्वारा विचारणीय है कि उच्च न्यायालय द्वारा जिन तथ्यों को स्थापित किया, उनके आधार पर अपीलार्थी द्वारा कौन सा अपराध किया गया। यह पाया गया कि जब अपीलार्थी, मृतक भीम सिंह व एक व्यक्ति शाह मेगन एयर फोर्स, 32 विंग (एम.टी.सेक्शन) में चाय ले रहे थे, अपीलार्थी द्वारा उधार दिये गये 50000/- रूपयों की मांग अपीलार्थी द्वारा करने के कारण अपीलार्थी व मृतक के बीच कतिपय शब्दों का आदान-प्रदान (कहा-सुनी) हुआ। अपीलार्थी उग्र हो गया व जलता हुआ स्टोव उठाकर मृतक पर फेंक दिया। कैरोसिन, स्टोव से निकलकर कपड़ों पर फैल गया व कपड़ों के ज्वालाओं के संपर्क में आने से वे आग पकड़ गए। परिणामतः जलने की वजह से मृतक की मृत्यु हो गई।

3. अपीलार्थी के विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि अपीलार्थी व मृतक के बीच कोई शत्रुता नहीं थी। उसका आशय मृतक को मारने का नहीं था, क्योंकि उसे मारने से उसके उधार दिये 50000/- रु. वसूल नहीं हो सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि उन दोनों में झगड़ा अचानक हुआ और उस क्षण के विक्षोभ में अपीलार्थी ने स्टोव उठाया और मृतक की तरफ फेंक दिया। अतः उन्होंने कहा कि यह अपीलार्थी का मात्र उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण ढंग से किया गया कार्य है। हम अधिवक्ता की इस बात से सहमत नहीं हो सकते। जब अपीलार्थी ने जलता हुआ स्टोव मृतक की तरफ फेंका वह जानता था कि इस कृत्य से जलना संभव है जो मृत्युकारक हो सकता है। प्रकरण के तथ्य व

परिस्थितियों को दृष्टीगोचर रखते हुये, उसके द्वारा धारा 304— II भा.द.स. का अपराध कारित किया जाना कहा जा सकता है।

4. अतः हम अपील अंशतः स्वीकार करते है, व अपीलार्थी की दोषसिद्धि धारा 302 से धारा 304— II में परिवर्तित कर दण्डादेश आजीवन कारावास से लघुकृत कर पाँच वर्ष सश्रम कारावास करते है।”

17. उपरोक्त निर्णय का अनुसरण करते हुये, हम यह विचार रखते है कि इस मामले में भी तथ्य व परिस्थितिनुसार अपीलार्थी द्वारा धारा 304 भाग—II का अपराध कारित करना कहा जा सकता है।

18. परिणामतः हम अपील अंशतः स्वीकार करते हुये अपीलार्थी की दोषसिद्धि को धारा 302 भा.द.स. से परिवर्तित कर धारा 304 भाग—II भा.द.स. करते हुये आजीवन कारावास के दण्डादेश को, पाँच वर्ष सश्रम कारावास में लघुकृत करते है।

..... J.
(ASHOK BHUSHAN)

..... J.
(K. M. JOSEPH)

New Delhi,

April 30, 2019

प्रत्याख्यान:— “स्थानीय भाषा में अनुवादित न्यायनिर्णय मात्र पक्षकारों को उनकी भाषा में समझने पर्यन्त ही सीमित है एवं किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोगार्थ नहीं है। सभी व्यावहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों हेतु, न्यायनिर्णय के **आंग्लभाषा संस्करण** को ही प्रामाणिक माना जावेगा तथा निष्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रभावी माना जावेगा ।”

Translated by:
Smt. Prachiti Taranekar
(Ju. Jud. Translator)